HAMIRPUR POLICE

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट

दिनांक- 28.05.2026

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा विशेष यातायात अभियान चलाकर व्यापक कार्यवाही, 3590 वाहनों का चालान, ₹46,88,500/- शमन शुल्क अधिरोपित।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 21.05.2026 से 27.05.2026 तक विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानों की कुल 16 संयुक्त टीमों द्वारा जनपद के प्रमुख चौराहों, बाजारों, हाईवे, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

अभियान के दौरान विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे **ड्रिंक एण्ड ड्राइव** के विरुद्ध अभियान, बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, काली फिल्म एवं अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर फोकस करते हुए व्यापक चेकिंग की गई।

इस दौरान **ब्रेथ एनालाइजर मशीन का प्रयोग करते हुए ड्रिंक एण्ड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 127 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई तथा 08 वाहनों को सीज किया गया।** उक्त कार्यवाही में कुल ₹4,31,500/- शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

इसी क्रम में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/संचार उपकरण का प्रयोग करने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग करने, दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नम्बर प्लेट लगाने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी मानकों का उल्लंघन करने व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई। **अभियान के दौरान कुल 3590 वाहनों का चालान करते हुए ₹46,88,500/- शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रभावी सिद्ध हो रहा है, बल्कि आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुलिस टीमों द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 28.05.2026 से जनपद में बिना हेलमेट वाहन संचालन, ड्रिंक एण्ड ड्राइव के प्रकरण, तीन सवारी, काली फिल्म, दोषपूर्ण लाइट, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यातायात नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

"सुरक्षित यातायात — सुरक्षित जीवन"